Title : Need to extend benefits of Ayushman Bharat Yojana to families with annual income upto Rs.1,80,000-Laid.

श्री संजय भाटिया (करनाल): केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक, सामाजिक व जातीय जनगणना-2011 के आधार पर किया गया है । इसके अनुसार हरियाणा में 15 लाख 51,798 परिवार आयुष्मान योजना में चिह्नित हुए थे लेकिन इनमें से सिर्फ 9 लाख का डाटा वेरिफाई हो पाया था और इन्हीं 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन अब राज्य सरकार के खर्च पर योजना का दायरा बढ़ाया गया और पी.पी.पी. के डाटा के आधार पर आयुष्मान योजना से प्रदेश में अब 28 लाख 89,036 परिवार कवर हो रहे हैं । यानि पहले जहां करीब 9 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा था वहीं अब करीब 20 लाख और परिवार इसमें जोड़े गए हैं । तो कुल मिलाकर लगभग उन्नतीस लाख लोगों को योजना का लाभ मिलेगा । माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीपीएल के अलावा उन लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मिले जिनकी वार्षिक आय 180000 रूपये या इससे कम है ।